संख्या 382-4जी0एस0-II-74/3912

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा में सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला एवं हिसार मण्डल, उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा में सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

दिनांक 1-3-1974

विषय :—भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर, हरियाणा सरकार के परिपत्र सं0 2815-4 जी0एस0-II-71/30857 दिनांक 29 अक्तू 1971 में दिए गए अनुदेशों को निर्दिष्ट करने का निदेश हुआ है जिन में अन्य बातों के साथ साथ यह व्यवस्था की गई है श्रेणी III तथा IV के सामान्य पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों का प्रवरण बोर्ड, राज्य प्रवरण समि द्वारा किया जाएगा। इस समिति द्वारा प्रवरित उम्मीदवारों को नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

2. ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जिनमें कुछ विभागों ने इस सम्बन्ध में राज्य प्रवरण समिति की सिफारिशों मानने में अनिच्छा प्रकट की है जिसके परिणामस्वरूप भूतपूर्व सैनिकों को सिविल पदों पर नियुक्त करके उनके पुनर्वास करने समस्त महत्वपूर्ण कार्य में परिहार्य रूप से विघ्न पड़ रहा है। सिविल पदों पर नियुक्ति करके भूतपूर्व सैनिकों के शीघ्र पुनर्व की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि उपर्युक्त परिपत्र में दिए गए अनुदेशों का बहुत सावध से अनुपालन किया जाना चाहिए तथापि, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों को भरते समय राज्य प्रवरण समिति द्व सिफारिश किए गए अपंग-भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3. कृपया इस पत्र की विषयवस्तु को सभी संबंध विभागों के ध्यान में ला दिया जाए, तथा इसकी पावती भे जाएगी।

भवदीय,

हस्ता/—

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

इनकी एक एक प्रति सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को भेजी जाती है।

वित्त आयुक्त, राजस्व, हरियाणा तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव।